संख्या-43/2020/ 904/सत्तर-4-2020-बी-5/2016

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांकः- 15 सितम्बर, 2020**

विषयः- प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज के प्रथम फेज के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प्रो0रा0सि0वि0वि0/कु0स0का0/82/2020-21 दिनांक 23.07.2020 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-51/सत्तर-4-2017-बी-5/2016, दिनांक 03.01.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अंतर्गत प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज के प्रथम फेज के निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 25.00 करोड के सापेक्ष रू0 5.00 करोड (रू0 पांच करोड मात्र) की धनराशि की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जाएगा जिस कार्य/मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
2. उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए किया जाएगा।
3. प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसीअन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
4. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
5. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
6. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाएगा।
7. प्रायोजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में योजना का कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।
8. विश्वविद्यालय द्वारा ई0एफ0सी0 की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाए और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है, तो उसे राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

10. निर्माण कार्यों का सम्यक परीक्षण किया जाए तथा उसकी आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाए। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए पारदर्शिता के अनुसार ही कार्य सुनिश्चित किया जाएगा।
11. स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने पर विचार किया जाएगा।
12. शासनादेश संख्या-51/सत्तर-4-2017-बी-5/2016, दिनांक 03.01.2017 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-73 के अंतर्गत लेखा शीर्षक- 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-31-जनपद इलाहाबाद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाले जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-825(1)/दस-2020 दिनांक 11/09/2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या-43/2020/ 904 /सत्तर-4-2020-बी-5/2016 तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकर (लेखा परीक्षा-1) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
7. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्चा शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. प्रबंध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
9. परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इलाहाबाद इकाई-2, प्रयागराज।
10. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृत धनराशि का तत्काल ऑनलाइन **ग्रिड़ एलाटमेंट कर (बजट)** उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।